प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा में,

प्रबन्धक,
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल,
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली।

पत्रांकः शि0स0/ 581-83 /2021–22/दिनॉकः 31/05/2021

विषयः– विद्यालय की प्रशासन योजना अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली के पत्रांकः मा0 सदर–बी/881–82/2021–22/दिनॉकः 27.05.2021 के द्वारा प्रेषित आपके विद्यालय **केशलता इण्टरनेशनल स्कूल, नवदिया झादा, बीसलपुर रोड, बरेली** की प्रशासन योजना पृष्ठ संख्या–01 से 15 तक (एक से पन्द्रह तक) अनुमोदित की जाती है। भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन/गलत पाये जाने पर यह अनुमोदित प्रशासन योजना तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

उक्त के संदर्भ में यह भी सूच्य है कि विद्यालय को हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त होते ही यह अनुमोदित प्रशासन योजना तत्काल प्रभाव से विद्यालय पर लागू की जायेगी। प्रशासन योजना लागू किये जाने की सूचना यथासमय जिला विद्यालय निरीक्षक, **बरेली** तथा **इस कार्यालय** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय

डॉ0(प्रदीप कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

पृ0सं0 शि0स0/ /2021–22/ दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

13. क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, **बरेली।**
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, **बरेली।**

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

प्रशासन योजना

विद्यालय का नाम व पता– केशलता इण्टरनेशनल स्कूल, नवदिया झादा, बीसलपुर रोड, बरेली।

ट्रस्ट का नाम व पता– ' केशलता एजुकेशनल ट्रस्ट ' ग्राम– नवदिया झादा, बीसलपुर रोड, बरेली।

पंजीकरण तिथिः– 27/03/2008

पंजीकरण संख्याः– 117, बही संख्याः– 4, जिल्द संख्याः– 103, पृष्ठ संख्याः–235 से 256 तक

दिनाँक :– 27/03/2008

अनुमोदन तिथि–

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

विद्यालय का नाम

केशलता इण्टरनेशनल स्कूल, नवदिया झादा, बीसलपुर रोड, बरेली।

1 संस्था का नाम	केशलता इण्टरनेशनल स्कूल, नवदिया झादा, बीसलपुर रोड, बरेली।
2 परिभाषाएँ	विषय एवं प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस योजना में:– 1. 'मान्यता' का तात्पर्य बोर्ड परीक्षाओं में प्रवेश पाने के निमित्त अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता से है। 2. 'एक्ट' का तात्पर्य यथा संशोधित इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट 1921 से है। 3. 'बोर्ड' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 (बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, यू0पी0) से है। 4. 'विनियम' का तात्पर्य एक्ट एवं इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट संशोधन अधिनियम, 1921 के अधीन बनाये गये विनियमों से है। 5. 'संस्था की सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी ऐसी चल या अचल सम्पत्ति से है, जो संस्था में निहित या अनुदानित हो या उसके प्रयोजनार्थ अलग से रखी गई हो। 6. 'समिति' का तात्पर्य विद्यालय की प्रबन्ध समिति से है। 'संस्था' का तात्पर्य केशलता इण्टरनेशनल स्कूल, नवदिया झादा बीसलपुर रोड, जिला बरेली अथवा उसके किसी भाग से है। 7. 'सभा' का तात्पर्य विद्यालय की साधारण सभा से है। 8. 'सदस्य' का तात्पर्य साधारण सभा के सदस्य से होगा परन्तु यदि संदर्भ ट्रस्ट का है, तो सदस्य का तात्पर्य प्रबन्ध ट्रस्ट के सदस्य से होगा। 9. 'निरीक्षक' का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से होगा। 11. 'ट्रस्ट' का तात्पर्य ' केशलता एजूकेशनल ट्रस्ट ' ग्राम – नवदिया झादा, बीसलपुर रोड, जिला– बरेली; तथा पंजीकरण संख्या– 117, दिनांक 03 / 10 / 2016 से होगा।
3. संस्था का नाम एवं पता	केशलता इण्टरनेशनल स्कूल, नवदिया झादा, बीसलपुर रोड, बरेली।
4. विद्यालय की साधारण सभा	शासनादेश संख्या – 1281 / 15–9–08–25(4) / 2008 दिनांक 22.11.2008 के अनुसार इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत मातृ संस्था ' केशलता एजूकेशनल ट्रस्ट ' की साधारण सभा ही विद्यालय की साधारण सभा होगी।
सधारण सभा के पदाधिकारी	गठन : साधारण के पदाधिकारी निम्नलिखित होगे जो साधारण सभा के बहुमत द्वारा चुने जायेंगे। इनका कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा। 1.अध्यक्ष 2.उपाअध्यक्ष 3. प्रबन्धक
5. विद्यालय की साधारण सभा के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य	1. विद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव साधारण बहुमत के आधार पर किया जाना। 2. विद्यालय के आर्थिक बजट का अनुमोदन करना। 3. विद्यालय के अन्य वैधानिक नियंत्रण करना। 4. विद्यालय की प्रबन्ध समिति तथा साधारण सभा की संयुक्त बैठक में सदस्यों के तीन चौथाई के बहुमत से किसी सदस्य

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

	या पदाधिकारी के दोष सिद्ध होने पर उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही करना एवं अंतिम निर्णय लेना।
6. विद्यालय की साधारण सभा की बैठक	वर्ष में कम से कम दो बार साधारण सभा की बैठक आवश्यक होगी और उसी प्रकार होगी जिस प्रकार प्रबन्ध ट्रस्ट की बैठक के नियम है। बैठक की संचालन प्रक्रिया तथा अन्य बातें उसी प्रकार से होगी जो ट्रस्ट के नियमों में लिखी गई हैं।
7. विद्यालय की प्रबन्ध समिति	संस्था के कार्यों के प्रबन्ध संचालन का अधिकार विद्यालय की प्रबन्ध समिति को होगा। यह ट्रस्ट एक्ट के उपबन्धों, विनियमों, नियमावली तथा उ0प्र0 के शिक्षा विभाग के प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार केशलता इण्टरनेशनल स्कूल, नवदिया झादा, बीसलपुर रोड, बरेली को नियमित रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।
8. विद्यालय की प्रबन्ध समिति का गठन	विद्यालय की प्रबन्ध समिति में पदेन सदस्यों सहित कुल 15 सदस्य होगें। तीन पदेन सदस्यों के अतिरिक्त 12 सदस्यों का चयन सभी कोटि के सदस्यों को सम्मिलित कर साधारण सभा द्वारा जनतांत्रिक पद्धति से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। इन्ही 12 सदस्यों में से विद्यालय की प्रबन्ध समिति के 04 निम्नलिखित पदाधिकारी भी होगें जिनका चयन इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत मातृ संस्था ' केशलता एजूकेशनल ट्रस्ट' के नियमों आधार पर किया जायेगा। प्रबन्ध समिति में किसी जाति धर्म व समुदाय का एकाधिकार नहीं होगा तथा कोई आजीवन पदाधिकारी नहीं होगा।
	(क) पदाधिकारी– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष। (ख) पदेन सदस्य– प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य तथा दो अध्यापक, अधिनियम की धारा–16 (क) अध्याय–एक के विनियम (1) के अनुसार पदेन सदस्य होगें। (ग) प्रबन्ध समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) अवैतनिक होगें। (घ) प्रबन्ध समिति के कोई भी सदस्य एक दूसरे के सम्बन्धी नहीं होगें। सम्बन्धी शब्द का अर्थ वही होगा जो अधिनियम की धारा–16 छः के अधीन निर्मित अध्याय–3 के विनियम–4 में परिभाषित है। (ङ) इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कर्मचारी/शिक्षक किसी विद्यालय की प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी नहीं होगा।
9. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल	पदाधिकारी एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अगले एक माह तक पदाधिकारी बने रहे सकेगें यदि पाँच वर्ष बाद एक माह के अन्दर नवनिर्वाचित प्रबन्ध समिति कार्यभार ग्रहण नहीं करती है तो कार्यरत प्रबन्ध समिति कालातीत हो जायेगी। प्रत्येक दशा में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के एक माह पूर्व नई प्रबन्ध समिति का

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

	गठन कर लिया जायेगा।
10. चुनाव प्रक्रिया	1. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह पूर्व ही चुनाव कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। इस हेतु प्रबन्ध समिति नई कार्यकारिणी के गठन हेतु मातृ संस्था 'केशलता एजूकेशनल ट्रस्ट' के अध्यक्ष से अनुरोध करेगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रबन्ध समिति के अनुरोध पत्र को संलग्न करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक से चुनाव हेतु पर्यवेक्षक की माँग करेंगे। यदि प्रबन्ध समिति चुनाव कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष को नहीं सौपती है तो विद्यालय की साधारण सभा के 1/3 सदस्य ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय से चुनाव कराये जाने हेतु निवेदन कर सकते है। साधारण सभा के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर ही चुनाव हेतु बैठक नहीं बुलायी जाती है तो वे जिला विद्यालय निरीक्षक से चुनाव हेतु अनुरोध कर सकेगें। इन सदस्यों के अनुरोध पर जिला विद्यालय निरीक्षक पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए चुनाव हेतु तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करेंगा, जिसकी सूचना ट्रस्ट के अध्यक्ष को देगा। बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में चुनाव के समय उपस्थित सदस्यों में से मिलकर किसी एक को बैठक का अध्यक्ष बनायेगें। पुनश्च स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक दशा में प्रबन्ध समिति का चुनाव जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की उपस्थिति एवं नियंत्रण में निर्धारित तिथि, स्थल एवं समय पर ही होगा। शासनादेश संख्या–1009/15–9–2008–25(04)/2008 दिनाँक 02.09.2008 के अनुसार ट्रस्ट के चुनाव हेतु संस्था अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक की मांग किये जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अधिकतम 07 दिन के अन्दर प्रबन्ध समिति के गठन हेतु चुनाव कराये जाने के लिए पर्यवेक्षक नामित कर दिया जायेगा।
11. प्रबन्धक के हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अनुमोदित संयुक्त शिक्षा निदेशक मण्डल, बरेली	विद्यालय की प्रबन्ध समिति के चुनाव के उपरान्त नव–निर्वाचित प्रबन्धक के हस्ताक्षर के प्रमाणन की व्यवस्था निम्नवत् होगीः– क– प्रबन्ध समिति के चुनाव के उपरान्त प्रबन्धक के हस्ताक्षर के प्रमाणन कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रत्येक दशा में 02 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित कर ली जायेगी। ख– जिला विद्यालय निरीक्षक को हस्ताक्षर प्रमाणन में यदि कोई वैधानिक कठिनाई आती है तो वे उक्त निर्दिष्ट समय के भीतर ही प्रकरण को मण्डलीय समिति को सन्दर्भित करेंगें, जिस पर मण्डलीय समिति प्रत्येक दशा में 01 माह के भीतर अपना निर्णय लेगी।
12. आकस्मिक रिक्ती	प्रबन्ध समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) तथा पदाधिकारियों के पद में होने वाली किसी आकस्मिक रिक्त की पूर्ति विद्यालय की साधारण सभा द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए की जायेगी और इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति उस शेषकाल के लिए प्रबन्ध समिति का सदस्य या

MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

	पदाधिकारी (जैसी भी दशा हो) होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति जिसके स्थान की वह पूर्ति करता है, प्रबन्ध समिति का सदस्य या पदाधिकारी रहता। आकस्मिक रिक्त की सूचना 07 दिवस के अन्तर्गत प्रबन्धक जिला विद्यालय निरीक्षक को देगा। सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्तर्गत रिक्त पद के चुनाव हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक तिथि, स्थल एवं समय निर्धारित करते हुए पर्यवेक्षक की देख–रेख व नियंत्रण में चुनाव होगा।
13. प्रबन्ध समिति की बैठकें	1– साधारण बैठक– विद्यालय की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष के अनुमोदक से प्रबन्धक द्वारा चार माह मे कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी। 2– आवश्यक बैठक– प्रबन्धक, अध्यक्ष के अनुमोदन से, या जब आवश्यक हो, या प्रबन्ध समिति की लिखित माँग पर जिसमें विचार के लिए विशिष्ट विषय या संकल्प का उल्लेख होना चाहिए, प्रबन्ध समिति की आवश्यक बैठक अवश्य बुलायेगा। यदि अध्यक्ष या प्रबन्धक द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो प्रबन्ध समिति के 6 सदस्यों/पदाधिकारी निरीक्षक की अनुमति से सामूहिक रूप से मिलकर बैठक बुला सकेंगे। 3– बैठक के लिए नोटिस– प्रबन्ध समिति की साधारण बैठक के लिए कम से कम पूरे 7 दिन पूर्व नोटिस एवं आवश्यक बैठक के लिए कम से कम पूरे 3 दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि साधारण बैठक के दिनाँक से 10 दिन पूर्व और आवश्यक वैठक के दिनाँक से 6 दिन पूर्व सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजने पर यह समझा जायेगा कि वह उस सदस्य पर यथोचित समय के भीतर पर्याप्त रूप से तामील कर दिया गया है। नोटिस के साथ कार्यसूची होगी और उसमें बैठक का दिनांक, स्थान तथा समय दिया रहेगा। यदि नोटिस रजिस्टर्ड डाक से नहीं दिया जाता है तो प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य की आपत्ति पर जाँच के उपरान्त निरीक्षक उस बैठक की कार्यवाही को (जैसी स्थिति हो) अवैध या वैध घोषित कर सकेगा।
	4–गणपूर्ति एवं स्थगनोपरान्त बैठकः– चार सदस्यों या तत्कालीन सदस्यों की एक तिहाई संख्या से जो भी अधिक हो प्रबन्ध समिति की गणपूर्ति होगी। यदि बैठक प्रारम्भ होने के लिए निश्चित समय के पश्चात 30 मिनट तक अपेक्षित गणपूर्ति न हो तो बैठक स्थगित हो जायेगी। बैठक फिर उसी दिन या किसी दूसरे दिन ऐसे समय हो सकती है जिसकी घोषणा अध्यक्ष उक्त 30 मिनट की समाप्ति पर करें। स्थगनोपरान्त बैठक के लिए गणपूर्ति या किसी अन्य नोटिस की अपेक्षा न होगी किन्तु उस बैठक में किसी ऐसे विषय पर विचार नहीं किया जायेगा जो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित न रहा हो।

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

14. बैठकों की कार्य संचालन की प्रक्रिया क– प्रबन्ध समिति	1. अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष वैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हों तो उनके अनुपस्थित रहने तक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित कर सकते हैं। 2. बैठक में विचार करने के लिए संकल्प अथवा विशिष्ट प्रस्तावों का प्रालेख सदस्यों या पदाधिकारियों द्वारा प्रबन्धक एवं अध्यक्ष का भेजा जायेगा व उसे अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को भेजी जाने वाली कार्य सूची में संशोधन कर सकेगा। 3. कोई भी विषय जो कार्यसूची में सम्मिलित न हों, बैठक के अध्यक्ष की अनुज्ञा से बैठक में विचारार्थ लिया जा सकता है यदि वह बैठक आवश्यक न हो। 4. प्रत्येक बैठक में उसके कार्य की प्रथम पद के रूप में पिछली बैठक की कार्यवृत्ति पढ़ी जायेगी और उसकी पुष्टि दी जायेगी। कार्यवृत्ति की शुद्धता के बारे में कोई आपत्ति केवल उसी सदस्य द्वारा की जा सकेगी जो सम्बद्ध बैठक में उपस्थित रहा हो। आपत्ति का निर्णय अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के विचार जानने के पश्चात किया जायेगा। कार्यवृत्ति की पुष्टि हो जाने के पश्चात उसकी शुद्धता पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी। 5. संकल्प को देने वाले सदस्य की अनुमति से अध्यक्ष उसे किसी अन्य ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दे सकता है, जो बैठक में उपस्थित हो और ऐसा न करने को सहमत हो। मतभेद होने की दशा में निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने या विद्यालय की अचल सम्पत्ति की जमानत पर वित्तीय दायित्व लेने के संकल्प के लिए कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का होना आवश्यक है। कोई भी कार्यवाही केवल इसी आधार पर अवैध न होगी कि उसमें (प्रबन्ध समिति में) कोई रिक्ति थी। 6. प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के अन्त में उपस्थिति के हस्ताक्षर होंगे। कार्यवाही की फोटोस्टेट कापी निरीक्षक तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक को 24 घण्टों में भेजी जायेगी।
ख– साधारण सभा अनुमोदित संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मण्डल, बरेली	1. अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हों तो अनुपस्थित रहने तक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य अपनें में से किसी एक को अध्यक्ष निर्वाचित कर सकते हैं। 2. बैठक में विचार करने के लिए संकल्प अथवा विशिष्ट प्रस्तावों का प्रालेख सदस्यों या पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष /प्रबन्धक को भेजा जायेगा व उसे अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को भेजी जाने

MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
JALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदियां झाड़ा, बीसलपुर रोड
बरेली

	वाली कार्य सूची में संशोधन कर सकेगा। 3. कोई भी विषय जो कार्यसूची में सम्मिलित न हो, बैठक के अध्यक्ष की अनुज्ञा से बैठक में विचारार्थ लिया जा सकता है यदि वह बैठक आवश्यक न हो। 4. प्रत्येक बैठक में उसके कार्य की प्रथम मद के रूप में पिछली बैठक की कार्यवृत्ति पढ़ी जायेगी और उसकी पुष्टि की जायेगी। कार्यवृत्ति की शुद्धता के बारें में कोई आपत्ति केवल उसी सदस्य द्वारा की जायेगी जो सम्बद्ध बैठक में उपस्थित रहा हो। आपत्ति का निर्णय अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के विचार जानने के पश्चात किया जायेगा। कार्यवृत्ति की पुष्टि हो जाने के पश्चात उसकी शुद्धता पर आपत्ति नहीं की जा सकती। 5. प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के अन्त में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। कार्यवाही की फोटोस्टेट कापी निरीक्षक तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक को 24 घण्टे में भेजी जायेगी।
15. अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया	यदि प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या पदाधिकारी के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो निम्नलिखित प्रक्रिया अनिवार्य होगी। 1. नियमानुसार अर्ह कोई पदाधिकारी या सदस्य किसी अन्य पदाधिकारी या सदस्य के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है। तो लिखित प्रार्थना पत्र जिलाविद्यालय निरीक्षक की सेवा मे प्रस्तुत करेंगे और उनका अनुमोदन प्राप्त करेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के विना कोई भी अविश्वास प्रस्ताव न तो वैध होगा और न ही मान्य होगा। 2. जिला विद्यालय निरीक्षक का उक्त अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक साधारण सभा की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदस्यों की 07 (सात) दिन की रजिस्टर्ड नोटिस देकर बैठक बुलायेंगे। 3. अध्यक्ष या प्रबन्धक के अनुपस्थित रहने पर या इस संबन्ध में उनकी उदासीनता के कारण यदि एक सप्ताह के भीतर बैठक की नोटिस या एजेण्डा नहीं भेजते तो कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य अध्यक्ष से साधारण सभा की बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं। अध्यक्ष ऐसे मांग के तीन दिन के अन्दर एजेण्डा भेज कर साधारण सभा की बैठक बुला सकते है जिनका अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4. ऐसी सभाओं में अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त और कोई कार्यवृत्ति नहीं रखी जायेगी न ही कोई कार्यवाही होगी। ऐसे प्रस्ताव की लिखित नोटिस प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्री डाक द्वारा एजेण्डा सहित भेजना अनिवार्य है। 5. नोटिस की एक प्रति एजेण्डा सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को भी रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा।

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

	6. जिला विद्यालय निरीक्षक का उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य शिक्षाधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में सभा में अवश्य उपस्थित होगा और इस बात की देख–रेख करता रहेगा कि कार्यवाही बैधानिक रूप से हो रही है या नहीं। उक्त पर्यवेक्षक वरीयता के आधार पर द्वितीय श्रेणी अथवा अधिनस्थ शिक्षा सेवा का राजपत्रित अधिकारी संवर्ग का होगा लेकिन यथा आवश्यक जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त से कमतर श्रेणी के अधिकारी (यथा प्रवक्ता इ0का0 / सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) को भी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगा। 7. ऐसी सभाओं की अध्यक्षता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष करेगें। यदि प्रस्ताव उन्हीं के विरूद्ध है, अथवा वे किन्ही कारणवश अनुपस्थित हैं, तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। 8. किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के पूर्व अध्यक्ष अथवा उनके अनुमति से प्रबन्धक द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के कारणों (आरोपों) को सम्बन्धित सदस्य अथवा पदाधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ नोटिस के रूप में उपलब्ध करा कर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर साधारण सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा और साधारण सभा द्वारा उस पर विधिवत् विचारोपरान्त कुल सदस्यों के 3/4 के बहुमत से निर्णय लिया जायेगा। 9. अविश्वास प्रस्ताव का मतदान गोपनीय मत पत्र (बैलेट) द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक सदस्य, एक कोरे कागज जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि की मुहर सहित हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा बनवा लेंगे। 10. मतदान होने के पश्चात सभा के अध्यक्ष मत गणना कराकर उसी दिन (कार्यालय या विद्यालय जहाँ कहीं मतदान हो) मतगणना स्थल के सूचना पट पर परिणाम लगा देगा और बैठक में भी परिणाम घोषित करते हुए और उसकी एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास पर्यवेक्षक के माध्यम से भेज देगा। 11. कोई भी अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं माना जायेगा जब तक कि वह सभा में उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित न हो। निर्णय उस समय प्रभावी होगा जब उस निर्णय पर जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त हो जाये और सम्बन्धित सदस्य या पदाधिकारी जिनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो को प्रस्ताव के पारित होने की तिथि के अधिकतम 3 दिन के भीतर उक्त निर्णय/प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति पंजीकृत डाक से प्रेषित कर दी जाये।
16. प्रबन्ध समिति के अधिकार कर्तव्य एवं कृत्य	प्रबन्ध समिति के अधिकार कर्तव्य एवं कृत्य जहाँ तक विनियमों से असंगत न हो निम्नलिखित होगें– माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16(क), 16(ख), 16(ग) के अधीन बने

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

परिषद के विनियम के अध्याय–1 प्रशासन की योजना के अन्तर्गत विनियम 13 में निहित अधिकार कर्तव्य एवं कार्य प्रबन्ध समिति द्वारा संम्पादित किये जायेगें, जो निम्नलिखित रूप से परिभाषित किये गये हैं:–

1. अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रधानाध्यपक, आचार्य अध्यापक, मेट्रन, लिपिक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, स्थाईकरण, पदोन्नति, दक्षता– रोक पार करने की स्वीकृति, निलम्बन तथा दण्ड विद्यान (जिसमें पृथककरण एवं नियुक्ति भी सम्मिलित है)।
2. प्रधानाचार्य, अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, कर्मचारियों आदि की नियुक्ति हेतु नियमानुसार चयन समिति का गठन करना।
3. संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवा पंजिका में की गई प्रविष्टियों के विरूद्ध अपीलों पर निर्णय देना।
3. जहाँ प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य को अधिकार प्राप्त है, उनके अतिरिक्त संस्था के कर्मचारियों को ग्राहय समस्त अवकाश स्वीकृत करना।
4. बालकों की निधियों (छात्र निधियों) को छोड़कर संस्था की समस्त धनराशियों, प्रतिभूतियों (जमानतों) सम्पत्ति तथा संदानों का नियंत्रण तथा प्रबन्धन एवं उनकी निरापद परिरक्षा, विनियोग, मरम्मत, अनुरक्षण और विधिक रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
5. शासन से प्राप्त अनुरक्षण और विकास अनुदानों तथा प्रतिभूतियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना।
6. संस्था के लिए समस्त आय(छात्रवृत्तियॉ और बालकों की निधियों को छोड़कर) चंदा, दान, भेंट, लाभान्स, ब्याज, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसके अधिकारों के कार्यों से उठाने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा करना।
7. शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देषों का पालन करना।
8. ऐक्ट के उपबन्धों एवं विनियमों व उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं शिक्षक पदों पर उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर संशोधित शासनादेशों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के प्राविधानानुसार / शासनादेशानुसार की जायेगी। लिपिक की नियुक्ति प्रबन्ध समिति द्वारा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार विभागीय अनुमोदन से की जायेगी।
9. उ0प्र0 हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1971 की

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

	धारा 9 के अन्तर्गत सृजित रिक्त पद एवं विहित प्रक्रिया के अभाव में तथा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी समय–समय पर संशोधित शासनादेशों से परे अन्य अनियमित / फर्जी नियुक्ति की स्थिति पाये जाने पर उक्त वर्णित अधिनियम / विनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। 10. विद्यालय में छात्रों का फर्जी नामांकन पाये जाने की स्थिति में प्रबन्ध समिति को अतिक्रमित करने की कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं अधिनियम में जारी शासनादेशों विभागीय निर्देशों के अन्तर्गत की जायेगी।
17. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के अधिकार कर्तव्य एवं कृत्य	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक (जैसी भी दशा हो) के अधिकार कर्तव्य एवं कृत्य जहाँ तक वे विनियमों से असंगत न हों निम्नलिखित होंगे:– 1. माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 एवं समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम के भाग–2 (क) के अध्याय–1 ''प्रशासन की योजना'' की धारा–16 क. ख. एवं ग. के विनियम– 9, 10, 11 तथा 12 में अंकित सभी अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन। 2. उसके वे समस्त अधिकार एवं कर्तव्य और कृत्य भी होंगे जो एक्ट, विनियम शिक्षा संहिता अथवा तत्समय प्रचलित किसी विधि या नियमों द्वारा प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को दिये गये हों उस पर आरोपित किये गये हों।
18. बजट	01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्रस्ताव प्रबन्धक द्वारा तैयार किये जायेंगे और प्रत्येक 31 जनवरी के पूर्व अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रबन्ध समिति बजट की आगामी वर्ष के आरम्भ होने से कम से कम 30 दिन पहले पारित करेगी।
19. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य	पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:– 1. अध्यक्षः– क– प्रबन्ध समिति की बैठक की अध्यक्षता करना। ख– बैठक करने के लिए तिथि समय एवं स्थान का अनुमोदन करना परिवर्तन करना और बैठक को स्थगित करना। ग– इस बात की देखभाल करना कि यह प्रशासन योजना समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा निष्ठा के साथ कार्यान्वित की जाय। घ– संस्था तथा उसकी सम्पत्ति से संबन्धित समस्त अनुबन्धों, संविदाओं के समस्त अभिलेखों तथा अन्य लेखों पर प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना। ङ– प्रबन्ध समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक से अधिक रूपया 500 / – (रूपया पाँच सौ) तक की धनराशि को व्यय करना। च– आपत्तिक स्थिति में जब कोई बैठक बुलाई न जा सके, तो जिला विद्यालय निरीक्षक की सहमति से प्रबन्ध समिति की ओर से उस सीमा तक कार्य करना, जिस सीमा तक उस समिति के संकल्प द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, तथा अपने द्वारा किए गये कार्य की सूचना

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

	प्रबन्ध समिति को देना। छ– ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो इस योजना या तत्समय प्रचलित किसी नियम अथवा उप नियम द्वारा उसे दिये गये हों, उस पर आरोपित किये गये हों। 2. उपाध्यक्षः– क– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसके अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ख– ऐसे समस्त अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उसे लिखित रूप से प्रतिनिहित किये गये हों। 3. प्रबन्धकः– 1. संस्था के लिए समस्त अनुदान, दान तथा चन्दे आदि प्राप्त करना और उसके लिए यथाविधि रसीद देना। 2. ट्रस्ट के निर्देषों के अधीन रहते हुए संस्था के समस्त सम्पत्तियों तथा धनराषियों के प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। 3. नियमों तथा स्वीकृति की शर्तों के अधीन रहते हुए, बजट में की गयी व्यवस्था के भीतर संस्था के वित का प्रशासन तथा नियंत्रण करना। 4. कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संस्था के समस्त लेखों को संचालित और उसकी वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रबन्ध करना। 5. संस्था के शिक्षकों तथा सभी कर्मचारियों के वेतन वृद्धियों तथा देय धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करना और जब कोषाध्यक्ष सिफारिश करे तो प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत व्यय में से अन्य सेवाओं तथा सामग्रियों के लिए भुगतान सुनिश्चित करना। 6. संस्था से संबन्धित समस्त अनुबन्ध तथा संस्था की अचल सम्पत्ति से संबन्धित हस्तान्तरण संविदा के समस्त विलेखों तथा अन्य लेखों पर अध्यक्ष के साथ–साथ संयुक्त हस्ताक्षर करना। 7. वार्षिक बजट तैयार करना और प्रबन्ध समिति /सभा के समक्ष रखे जाने के लिए उन्हें अध्यक्ष को प्रस्तुत करना। 8. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। 9. संस्था को संबन्धित मामलों में प्रबन्ध समिति, संस्था तथा सभा की समस्त कानूनी कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करना और उनकी कार्यवाहियों तथा मामलों में उनकी ओर से अभिकथनों (प्लीडिंग्स) पर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें सत्यापित करना। 10. अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक बुलाना और संस्था के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध समस्त पत्र व्यवहार रजिस्टरों तथा पुस्तकों को अभिलेख करना।

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

	11. उस दशा को छोड़कर जब प्रधानाचार्य में ऐसा अधिकार निहित हो, प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत सीमा तक संस्था के कर्मचारियों की छुट्‌टी स्वीकृत करना।
	12. प्रबन्ध समिति को स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक से अधिक रू0 500/- (पाँच सौ रूपये) तक की धनराशि व्यय करना। 13. यदि प्रबन्ध समिति ने तदर्थ अधिकार दिया हो तो संस्था के किसी शिक्षक, लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष की जाँच तथा प्रबन्ध समिति का अन्तिम आदेश होने तक के लिए विनियमों के अनुसार निलम्बन करना तथा की गयी कार्यवाही की सूचना प्रबन्ध समिति को देना। 14. एक ओर प्रबन्ध समिति तथा दूसरी ओर प्रधानाचार्य के माध्यम से संस्था के कर्मचारी वर्ग, शिक्षा विभाग तथा बोर्ड के बीच पत्र व्यवहार के सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करना। 15. प्रबन्ध समिति तथा सभा के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उनके मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना। 16. चयन समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करना। 17. ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस योजना द्वारा तत्समय प्रचलित किसी नियम अथवा विधि द्वारा उसे दिये गये हों या उस पर रोपित किये गये हों। 18. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना। 19. सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना। 20. संस्था के कार्यवाही को लिपिबद्ध करना एवं सुनाना। <u>4. कोषाध्यक्षः-</u> 1. संस्था की समस्त धनराशियों तथा निधियों के लेखों को रखना। 2. प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से संस्था के सभी लेखों को संचालित करना। 3. प्राधिकृत व्यय के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशियों की सिफारिश प्रबन्धक से करना। 4. सदस्यता हेतु बैंक ड्राफट प्राप्त कर प्रबन्धक को भेजना तथा सदस्यता स्वीकार होने पर उसे विद्यालय के खातों में जमा करना। सदस्यता से प्राप्त समस्त आय मेन्टीनेन्स खाते में जमा होगी। 5. प्राधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के लिए सभी लेखें, रजिस्टर, प्रमाणक (बाउचर), रसीदें तथा अन्य पत्र जो लेखा परीक्षा के लिए आवष्यक हो प्रस्तुत करना। 6. आय तथा व्यय का वार्शिक विवरण तैयार करना और लेखा परीक्षा रिर्पोट के साथ उसे प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

20. संस्था की निधियाँ और सम्पत्तियाँ	1. नगद या सरकारी प्रतिभूतियों अथवा जमींदारी उन्मूलन बाण्ड के रूप में निबन्ध निधि (इनडाउनमेन्ट) तथा रक्षित निधि स्टेट बैंक या डाकघर, बचत बैंक में रखी जायेगी। यह निधियाँ प्रबन्धक तथा संबन्धित निरीक्षक के पद नामों से संयुक्त रूप से आहरित की जायेगी। 2. संस्था की अन्य विधियां स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या डाकघर या किसी सहकारी या अनुसूचित बैंक में जमा की जायेगी। विनियोजन के लिए पृथक रखी गई धनराशियां राष्ट्रीय बचत पत्र नेशनल सेविंग (सार्टिफिकेट) अथवा परम प्रतिभूतियां (गिलटर सिक्योरटीज) में लगाई जायेगी। 3. सभा का कोई भी सदस्य संस्था लेखों को देख सकेगा और प्रबन्धक एक सप्ताह का लिखित नोटिस प्राप्त होने पर अपने समक्ष या अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष लेख देखने की अनुमति (अध्यक्ष की जानकारी में) देगा। 4. यथा विधि नियुक्त कोई भी अर्ह लेखा परीक्षक वर्ष में कम से कम एक बार संस्था के लेखों की परीक्षण करेगा और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संस्था के आय तथा व्यय के विवरण के साथ लगा दी जायेगी। 5. संस्था के परीक्षित लेखों परीक्षा प्रतिवेदन, प्रबन्ध समिति की अगली बैठक के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए रखे जायेंगे। 6. यदि कोई सदस्य/पदाधिकारी संस्था की निधि या सम्पत्ति का दुरूपयोग करता है तो अध्यक्ष उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 लिखायेगा तथा सम्पत्ति या निधि की प्रतिपूर्ति उस सदस्य या पदाधिकारी के निजी सम्पत्ति से वसूल ली जायेगी। यदि अध्यक्ष एफ0आई0आर0 नहीं लिखायेंगे, तो सभा या प्रबन्ध समिति के कोई तीन सदस्य एफ0आई0आर0 लिखायेंगे तथा उसे अध्यक्ष की जान बूझकर कर्तव्यहीनता समझा जायेगा और इस कारण इनके विरूद्ध सभा में अविश्वास प्रस्ताव उन तीन सदस्यों द्वारा लाया जायेगा। 7. जब कोई पदाधिकारी या सदस्य चुने जाने के पश्चात कार्यरत् होगा तो वह एक शपथपत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि वह अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा और यदि लेखा परीक्षा में संस्था की सम्पत्ति या निधि का दुरूपयोग उसके उपर पाया गया तो उसकी प्रतिपूर्ति अपनी निजी सम्पत्ति या निधि से करने के लिए बाध्य होगा।
21. कर्मचारियों द्वारा सपारिश्रमिक कार्य अथवा शोध कार्य अनुमोदित संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मण्डल, बरेली	सपारिश्रमिक कार्य यथा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उ0प्र0, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें और अन्य परीक्षा निकायों की परीक्षा से संबन्धित कार्य से भिन्न हों, स्वीकार करने या शोध करने के लिए प्रार्थना पत्र पर योग्यता के आधार पर निर्णय शिक्षकों, प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के विषय में प्रबन्धक करेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उस कार्य में लगने वाले समय से उस व्यक्ति के सामान्य कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक पालन करने में कमी न आने पाये और यदि इस विषय में शिक्षा निदेशक

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

	का कोई अनुदेश हो तो वह प्रार्थना पत्र उसके अनुसार निर्णीत होगा।
22. अधिकार और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन	प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन एक्ट, नियमों और शिक्षा संहिता के उपबन्धों तथा समय–समय पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अधीनें रहते हुए करेंगे।
23. प्रबन्ध समिति की सदस्यता तथा पदों से सम्बद्ध विवादों का निर्णय	क– यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति यथा विधि प्रबन्ध समिति का सदस्य या पदाधिकारी चुना गया है या नही तो उसे निर्णय के लिए अध्यक्ष को अभिदिष्ट किया जायेगा और इस विषय में उनका निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि विवाद अध्यक्ष पद के लिए हो तो वह यथास्थिति जिला विद्यालय निरीक्षक आदेश दे सकता है कि विवाद विचाराधीन होने की अवधि में विवादास्पद पद से सम्बद्ध अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा।
24.उल्लंघन करने या बाधा डालने के लिए अर्थदण्ड	1.सभा का कोई सद्स्य अथवा समिति का कोई सद्स्य या पदाधिकारी किसी व्यक्ति के इस प्रशासन योजना के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार की बाधा ना डालेगा। 2.किसी ऐसे सद्स्य को जो इस प्रशासन योजना के किन्ही उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन करे, सभा अर्थदण्ड से भी दंडित करा सकेगी यह अर्थदण्ड ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए या प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन होता रहे जो अधिक रू0 500 / – तक का हो सकता हैं। 3.सभा उस व्यक्ति को जिसके बारे में यह कहा जाय कि उसने कोई उल्लंघन किया है, सुनबाई का अवसर देने के पश्चात उस अर्थदण्ड से अरोपित कर सकेंगी इस प्रकार दंडित सभी मामलों का साधारण सभा एक माह के अन्दर पुनरावलोकन करेगी तथा या तो उसे पुष्ट करेगी या दण्ड को घटा या बढ़ा सकेगी।
व्यवस्था अधिकार संबंधित विवादों का निर्णय	क– यदि संस्था की सम्पूर्ण प्रबन्ध समिति के संबंध में विवाद.उत्पन्न हो जाये तो वह निर्णय के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अभिदिष्ट किया जायेगा। ख– यदि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा चुनाव कराने का आदेश दिया जायेगा और नई प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा। ग– इस बात का विश्वास हो जाने पर कि विद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था में विवाद उत्पन्न हो गया है तो मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को एक्ट की धारा–16 क (7) के अन्तर्गत यह अधिकार होगा कि वह प्रतिद्वन्दी दावेदार को साक्ष्य सहित लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का उपयुक्त अवसर दे तो वह प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा कर नियमित रूप से गठित प्रबन्ध समिति को मान्यता देगा। घ– किन्ही कारणों से प्रबन्ध समिति के शून्य होने की दशा में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा–16(डी) अथवा वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा–6 के अधीन नियमानुसार प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जा सकता है।
25. संस्था के दोषों को दूर करना एवं आपातिक व्यवस्था	1. शिक्षा निदेशक या संयुक्त शिक्षा निदेशक किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय–समय पर निरीक्षण करा सकते हैं। 2. शिक्षा निदेशक या संयुक्त शिक्षा निदेशक निरीक्षण के समय या अन्य प्रकार से पाये जाने वाले दोषों या कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय की प्रबन्ध समिति को निर्देश दे सकते हैं। 3. यदि विद्यालय की प्रबन्ध समिति उपधारा–2 के अधीन किये गये किसी अनुदेश का पालन न करे तो शिक्षा निदेशक / संयुक्त शिक्षा निदेशक विद्यालय की प्रबन्ध समिति को नोटिस देगा। प्रबन्ध समिति द्वारा उस पर दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद– क– बोर्ड द्वारा मान्यता वापस देने के लिए मामले को अभिदिष्ट कर सकते हैं या ख– राज्य सरकार को इस संस्था के विरूद्ध उपधारा–4 के अधीन

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

कार्यवाही प्रारम्भ करने की सिफारिश कर सकते हैं।

4. यदि उपधारा–3 के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार को समाधान हो जाय कि–

क– मान्यता प्राप्त संस्था के कार्यकलापों में कुप्रबन्ध है।

या

ख– विद्यालय की प्रबन्ध समिति प्रशासन योजना के अनुसार न करके अन्य प्रकार से किया जा रहा है। या

ग– प्रशासन योजना निर्धारित समय से नियमानुकूल निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्वीकृत नहीं करायी गयी है तो अधिनियम की धारा–16(डी) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

1. प्रबन्ध समिति के स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करने के बाद प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जा सकता है।

2. ऐसी नियुक्ति किये जाने पर प्रबन्ध समिति तथा समस्त पदाधिकारी निष्प्रभावी हो जायेंगे तथा उनके अधिकार और कृत्य प्राधिकृत नियंत्रक में निहित हो जायेंगे सिवाय इसके कि प्राधिकृत नियंत्रक को सोसाइटी या संस्था के लिए अथवा उसकी ओर से कोई ऋण लेने का अथवा किसी अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण करने का अधिकार न होगा।

3. प्राधिकृत नियंत्रक अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है।

4. प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध समिति को विघटित कर सकता है और प्रबन्ध समिति के समस्त पदाधिकारियों को हटा सकता है। इस योजना के अनुसार नई प्रबन्ध समिति तथा नये पदाधिकारियों का चुनाव करा सकता है भले ही उसके कार्यकाल का समय समाप्त न हुआ हो इस प्रकार चुने गये सदस्य/पदाधिकारी कम समय में चुने गये माने जायेंगे।

5. प्राधिकृत नियंत्रक राज्य सरकार की नई प्रबन्ध समिति गठन होने की सूचना देगा और तत्पश्चात् राज्य सरकार प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे दिनांक से, जो निश्चित करेगी, हटा देगी।

6. इस खण्ड के अधीन की गयी कोई नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक नहीं चलेगी किन्तु यदि प्रबन्ध समिति के गठन से सम्बन्धित कोई विवाद किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो प्राधिकृत नियंत्रक तब तक कार्य करता रहेगा जब तक न्यायालय अन्यथा आदेश न दे दे।

7. राज्य सरकार अपने द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकृत नियंत्रक को हटा सकती है या उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सभी प्रकार के प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल विनियम में दी गई अवधि से अधिक न हो।

8. जब कोई प्राधिकृत नियंत्रक हटा दिया गया हो या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाये और कोई अन्य उत्तरधिकारी नियुक्त नहीं किया गया हो, प्रबन्ध समिति फिर से कार्य करना प्रारम्भ कर देगी प्रतिबन्ध यह है कि प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पूरा न हुआ हो अथवा कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात विधिक रूप से उसका गठन हो गया हो।

अनुमोदित
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली

26. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति	क– माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 7–4 एवं धारा 7क के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक्ट के उपबन्धों तथा विनियमों के अधीन रहते हुये प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य शिक्षकों की सभी नियुक्तियां उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड / विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से या लिपिक की सभी नियुक्तियां प्रबन्ध तन्त्र द्वारा की जायेगी। निम्न वर्ग के कर्मचारियों (चतुर्थ वर्गीय) की नियुक्तियां प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा विभागीय पूर्वानुमोदन से की जायेंगी। ख– संस्था के कर्मचारियों की सेवा शर्तें एक्ट तथा विनियमों द्वारा शासित होंगी। ग– माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 7 'क' के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, शिक्षक / शिक्षिका तथा लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ तत्समय प्रचलित विभागीय नियमों के अन्तर्गत की जायेंगी।
27. प्रशासन योजना का परिवर्तन / संशोधन	शिक्षा निदेशक या इस संबन्ध में उसके द्वारा यथा विधि प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना संस्था की इस प्रशासन योजना में परिवर्तन प्रभावी न होगा।
28. प्रशासन योजना के उपबन्धों का प्रभावीकरण	इस प्रशासन योजना के उपबन्धों तथा संस्था की मातृ संस्था 'शिव ज्याति शिक्षा संस्थान' ट्रस्ट के किसी अन्य विनियमो उपबन्धों में कोई असंगति होने की दशा में इस प्रशासन योजना के उपबन्ध मान्य होंगे।
29. जाति, पंथ या परिवार के एकाधिकार पर प्रतिबन्ध	इस प्रशासन योजना के तहत कोई ऐसी कार्यवाही / व्यवस्था नहीं की जायेगी जो कि किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों।

Lata Agrawal
MANAGER
KESHLATA INTERNATIONAL SCHOOL
BISALPUR ROAD, NAVADIA JHADA, BAREILLY

अनुमोदित
सयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली

अध्यक्ष
केशलता इण्टरनेशनल स्कूल
नवदिया झादा, बीसलपुर रोड
बरेली